ADVT
यहाँ विज्ञापन दें
98700 06472 · need24.digital

NEED24 NEWS
हर ख़बर, हर शहर

नीड 24 न्यूज़

हर खबर, हर शहर

ADVT
यहाँ विज्ञापन दें
98700 06472 · need24.digital

DIGITAL E-PAPER

PRGI APPLICATION
UNDER PROCESS
Application No.
T/GJ/2026/0619/2304/1577

GST
GSTIN
24CINPG0564Q1ZT

UDYAM REGISTERED
UDYAM-GJ-14-0003714

DIGITAL NEWS NETWORK
भारत का भरोसेमंद बहुभाषी डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क
11+ Languages | 24×7 Live | e-Paper Daily

हमारा App डाउनलोड करें
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

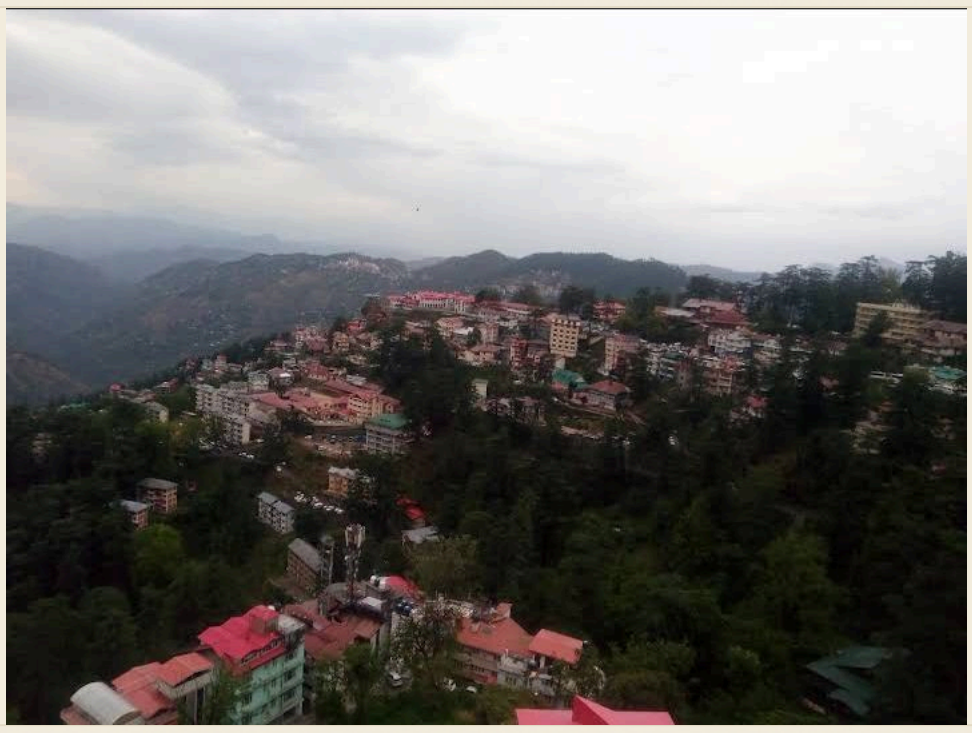
www.need24.digital
info@need24.in
+91 98700 06472
FOLLOW US:

तेज़ | सटीक | निष्पक्ष | जनहित में | सच की आवाज़ | जन-जन की आवाज़ | निडर पत्रकारिता

HIMACHAL PRADESH | नीड 24 न्यूज़ · हर खबर, हर शहर | 24 नवम्बर 2026

मौसम

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में 2.8 माप का भूकंप



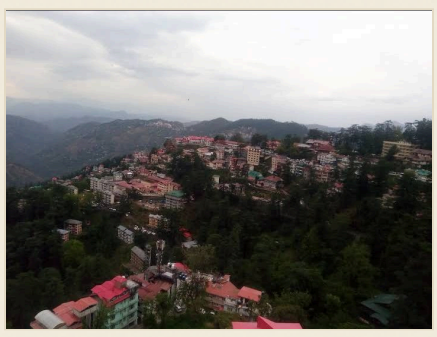
एशियनएट न्यूज़ेबल के अनुसार हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में 2.8 माप का हल्का भूकंप दर्ज किया गया। यह हल्का भूकंप सतही स्तर पर हुआ और आज के दिन क्षेत्र में रिपोर्ट किया गया पहला उल्लेखनीय भूकंपीय घटना है।

भूवैज्ञानिकों का कहना है कि 2.8 की तीव्रता सामान्यतः मामूली मानी जाती है और अक्सर केवल निकटवर्ती लोगों को ही महसूस होती है। ऐसी कम तीव्रता वाले भूकंप आमतौर पर संरचनात्मक क्षति नहीं पहुँचाते, परन्तु भविष्य की सक्रियता को ट्रैक करने के लिये इन्हें दर्ज किया जाता है।

स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि अब तक कोई चोट, संपत्ति क्षति या सेवा व्यवधान की सूचना नहीं मिली है। निवासियों को शांत रहने और यदि कोई असामान्य कंपन महसूस हो तो जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय को सूचित करने की सलाह दी गई है।

मौसम

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में 2.8 तीव्रता का भूकंप



संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वे (USGS) ने मंगलवार को 04:12 GMT पर हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में 2.8 तीव्रता का उथला भूकंप दर्ज किया। यह हल्का झटका आसपास के कस्बों में महसूस किया गया, परन्तु कोई क्षति या चोटें रिपोर्ट नहीं हुईं।

राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने पुष्टि की कि इस भूकंप से कोई भू-स्खलन या ढाँचे में टूट-फूट नहीं हुई। उन्होंने निवासियों को शांति बनाए रखने और सामान्य सुरक्षा उपायों का पालन करने की सलाह दी, यह बताते हुए कि हिमालयी क्षेत्र में ऐसी कम तीव्रता की घटनाएँ अक्सर होती रहती हैं।

राज्य के सिस्मिक मॉनिटरिंग स्टेशन संभावित आफ्टरशॉक्स को ट्रैक करेंगे, हालांकि 2.8 तीव्रता के बाद बड़े भूकंप की संभावना कम है। जनता को आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा गया है।

तत्काल राहत कार्यों की आवश्यकता नहीं पड़ी, और अल्पकालिक सतर्कता के बाद सामान्य जीवन पुनः शुरू हो गया।

यदि कोई नई जानकारी उपलब्ध होती है तो अधिकारियों द्वारा जनता को सूचित किया जाएगा।

नौकरी

हिमाचल में नया औद्योगिक अधिनियम: 80% स्थानीय रोजगार अनिवार्य



हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नया औद्योगिक अधिनियम लागू किया है जिसमें राज्य में संचालित सभी उद्योगों को कम से कम 80% स्थानीय श्रमिकों को रोजगार देना अनिवार्य है। यह हाल ही में पारित विधान राज्य के स्थानीय निवासियों की आर्थिक भलाई को प्राथमिकता देने के लिए बनाया गया है, जो राज्य के भीतर अधिक नौकरी के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखता है। सरकार का मानना है कि इससे राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय आबादी में बेरोजगारी कम होगी। इस नए अधिनियम के कार्यान्वयन और प्रवर्तन से संबंधित विवरण राज्य सरकार द्वारा जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है।

मौसम

हिमाचल में एक हफ्ते तक सूखा, बिलासपुर-मंडी में कोहरा चेतावनी



हिमाचल प्रदेश मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले सात दिनों में अधिकांश क्षेत्रों में सूखा रहेगा और वर्षा की संभावना न्यूनतम है। इस अवधि में नमी का स्तर भी सामान्य से कम रहेगा।

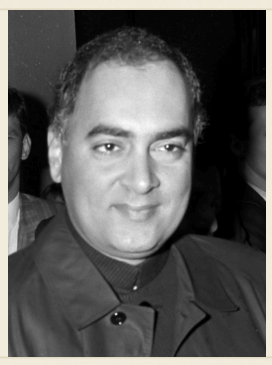
वहीं बिलासपुर और मंडी जिलों में कोहरा चेतावनी जारी की गई है। सुबह के समय घना कोहरा सड़क दृश्यता को घटा सकता है, जिससे हाईवे और पहाड़ी मार्गों पर यात्रा जोखिमपूर्ण हो सकती है।

विभाग ने किसानों को सूखे का लाभ उठाते हुए सिंचाई की योजना बनाने और प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को कोहरा से जुड़ी सुरक्षा उपाय अपनाने, जैसे कम बीम लाइट और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है।

स्थानीय प्राधिकरण स्थिति की निरंतर निगरानी करेंगे और यदि मौसम में बदलाव आए तो चेतावनी को अपडेट करेंगे, वर्तमान में अतिरिक्त कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

शिक्षा

राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल योजना में धीमी प्रगति, अभी तक कोई कक्षा नहीं शुरू



राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल योजना, जो दूरदराज के क्षेत्रों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, धीमी गति से आगे बढ़ रही है। नवीनतम जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत निर्धारित किसी भी स्कूल ने अभी तक नियमित कक्षाएँ शुरू नहीं की हैं।

अधिकारियों ने भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढाँचे का निर्माण और शिक्षकों की नियुक्ति में देरी को प्रमुख बाधाओं के रूप में बताया है। जबकि इस योजना को कुछ वर्षों में कई स्कूलों को चालू करने का लक्ष्य दिया गया था, कार्यान्वयन की समयसीमा काफी पीछे रह गई है।

राज्य शिक्षा विभाग और अभिभावक समूह जैसी हितधारक संस्थाएँ अधिकारियों से आग्रह कर रही हैं कि प्रक्रिया को तेज किया जाए, ताकि लाभार्थियों को वादा किया गया शैक्षिक सुविधा मिल सके।

सरकार ने अभी तक कोई नया समय-सारिणी जारी नहीं की है, परन्तु आने वाले हफ्तों में इन अड़चनों को दूर करने के कदम उठाने की उम्मीद है, ताकि योजना के कार्यान्वयन में आगे की देरी न हो।

टेक्नोलॉजी

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एआई सामग्री और जालसाजी में कानूनी अंतर निर्धारित किया



हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में एआई-आधारित सामग्री के उपयोग से जुड़ी कानूनी जटिलताओं को स्पष्ट करने के लिए एक निर्णय दिया। कोर्ट ने कहा कि एआई द्वारा निर्मित पाठ या चित्र स्वचालित रूप से जालसाजी नहीं माने जाएंगे, जब तक कि धोखा देने का इरादा स्पष्ट न हो।

जालसाजी के लिए भारतीय कानून में जानबूझकर झूठी सामग्री बनाकर किसी तीसरे पक्ष को भ्रमित करने का इरादा आवश्यक है। एआई उपकरण केवल इनपुट डेटा के आधार पर आउटपुट उत्पन्न करते हैं, इसलिए जिम्मेदारी उपयोगकर्ता के उद्देश्य पर निर्भर करती है, न कि तकनीक पर।

वकीलों और प्रवर्तन एजेंसियों को एआई-सहायता प्राप्त दस्तावेजों के मामलों में इस अंतर को लागू करने का निर्देश दिया गया, ताकि वास्तविक आपराधिक कृत्य को तकनीकी उपयोग के साथ मिलाकर न देखा जाए।

यह निर्णय भविष्य में एआई-जनित सामग्री और आपराधिक कानून के टकराव वाले विवादों के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है, जिससे न्यायपालिका तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बिठा सके।

विदेश

लाहौर कॉलेज के गुब्बारे हिमाचल की छत पर पहुँचे, पुलिस ने शुरू की जाँच



लाहौर, पाकिस्तान के एक कॉलेज समारोह में छोड़े गए गुब्बारे हवा के साथ बहकर भारत के हिमाचल प्रदेश में एक आवासीय छत पर पहुँचे। स्थानीय निवासियों ने इन विदेशी वस्तुओं को छत पर गिरते देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया।

हिमाचल पुलिस ने इस घटना की जाँच शुरू कर दी है। अधिकारी गवाहों से बयान ले रहे हैं और सीमा सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि गुब्बारे कैसे सीमा पार हुए।

जांच के दौरान यह स्पष्ट किया गया है कि अब तक कोई क्षति या चोट नहीं हुई है, परन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। एजेंसियां पिछले समान घटनाओं की जाँच भी कर रही हैं और भविष्य में ऐसी अनजानी प्रवेश को रोकने के उपाय तलाश रही हैं।

यह घटना पहाड़ी सीमा क्षेत्रों में कम ऊँचाई वाले हवाई वस्तुओं की निगरानी की कठिनाइयों को उजागर करती है, जिससे भारत-पाकिस्तान के बीच बेहतर निगरानी और स्पष्ट प्रोटोकॉल की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

हिमाचल विधानसभा ने धर्मशाला में स्थायी हाई कोर्ट बेंच की मंजूरी दी



हिमाचल प्रदेश विधानसभा के एक हालिया सत्र में विधायकों ने धर्मशाला में हिमाचल हाई कोर्ट की स्थायी बेंच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह कदम उत्तर क्षेत्रों के नागरिकों को उच्च न्यायालय की सेवाएँ निकट लाने के उद्देश्य से लिया गया है, जहाँ अब तक अधिकांश मामलों के लिए शिमला जाना पड़ता था।

विधायकों ने बताया कि स्थानीय बेंच से मुकदमों की लंबी लिस्ट घटेगी और वकीलों व पक्षकारों को यात्रा एवं खर्च में बचत होगी। प्रस्ताव में बेंच के संचालन के लिये आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की व्यवस्था करने का भी उल्लेख है।

राज्य सरकार को अब विस्तृत कार्यान्वयन योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें बजट आवंटन और न्यायाधीशों की नियुक्ति शामिल होगी। सफल कार्यान्वयन पर धर्मशाला बेंच राज्य की राजधानी के बाहर पहली स्थायी हाई कोर्ट शाखा बन जाएगी, जो न्यायिक पहुंच को विकेंद्रीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नौकरी

उना RTA मीटिंग के लिए आवेदन 26 नवंबर तक, मीटिंग 2 दिसंबर को



हिमाचल प्रदेश के उना जिले की रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (RTA) ने 2 दिसंबर को मीटिंग आयोजित करने की घोषणा की है। इच्छुक प्रतिभागियों को 26 नवंबर तक अपना आवेदन जमा करना अनिवार्य है, जैसा कि जीवनउत्साह न्यूज़ पोर्टल पर बताया गया है।

नोटिस में मीटिंग के एजेंडा का उल्लेख नहीं है, परन्तु पंजीकरण की सीमित अवधि से यह स्पष्ट है कि अधिकारी, हितधारक और जनता को उपस्थित रहने के लिए समय पर आवेदन करना होगा।

आवेदकों को वेबसाइट पर दी गई निर्देशावली का पालन करते हुए सभी आवश्यक दस्तावेज़ समय सीमा से पहले अपलोड करने की सलाह दी जाती है, ताकि अयोग्यता से बचा जा सके।

आगे की जानकारी, जिसमें स्थल और समय शामिल है, आवेदन अवधि समाप्त होने के बाद सफल पंजीकरणकर्ताओं को सूचित की जाएगी।

नौकरी

हिमाचल प्रदेश ने उद्योगों में 80% स्थानीय रोजगार के लिए विधेयक पारित किया



हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने एक नया रोजगार विधेयक पारित किया, जिसमें औद्योगिक इकाइयों को अपने कार्यबल का कम से कम 80 प्रतिशत राज्य के निवासियों को देना अनिवार्य किया गया है। इस कदम का उद्देश्य प्रवास को रोकना और औद्योगिक विकास के लाभ स्थानीय जनसंख्या तक पहुँचाना है।

शामिल है, जिससे नई परियोजनाओं और विस्तार के लिए सभी अनुमोदन एक ही प्राधिकरण के माध्यम से शीघ्रता से प्राप्त किए जा सकेंगे। आवेदक एक ही जगह पर सभी दस्तावेज़ जमा करेंगे, और संबंधित विभागों के साथ समन्वय करके प्रक्रिया तेज़ होगी।

राज्य सरकार ने बताया कि इस प्रावधान को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, और अनुपालन की निगरानी के लिए एक विशेष कार्यबल गठित किया गया है। स्थानीय रोजगार लक्ष्य पूरा न करने वाली कंपनियों पर दंड या लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।

व्यवसाय संगठनों को 30 दिन की परामर्श अवधि के दौरान अपने सुझाव देने का अवसर दिया गया है, जिसके बाद विधेयक को अधिनियमित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह नीति हिमाचल के युवाओं के लिए बड़ी रोजगार संभावनाएँ पैदा करेगी, साथ ही निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाए रखेगी।

धर्म

हिमाचल में सिख दादा ने धार्मिक अपमान पर मामला दर्ज किया



हिमाचल प्रदेश के एक वरिष्ठ सिख दादा ने मंगलवार को स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला अपमान किया गया। दादा ने बताया कि यह अपमान सार्वजनिक स्थान पर हुआ और उन्हें भावनात्मक कष्ट हुआ।

उन्होंने भारतीय दंड संहिता की उन धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करवाई, जो धार्मिक संवेदनाओं को चोट पहुँचाने को दंडनीय बनाती हैं। पुलिस ने उनकी बयानबाजी दर्ज की और मामले की जांच कर संभावित आरोपी की पहचान करने का कहा।

जांच के बारे में अभी तक कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है और अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह मामला क्षेत्र में धार्मिक सम्मान से जुड़ी संवेदनशीलताओं को उजागर करता है।

नौकरी

हिमाचल प्रदेश पटवारी 2026 एडमिट कार्ड जारी



हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने आज घोषणा की कि 2026 पटवारी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड अब उपलब्ध हैं। यह सूचना राज्य की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट पर प्रकाशित की गई, जहाँ पात्र उम्मीदवार अपने पंजीकरण विवरण से लॉगिन करके कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे एडमिट कार्ड पर अपना नाम, फोटो और रोल नंबर जैसी सभी जानकारी को परीक्षा के दिन से पहले ठीक से जांच लें। किसी भी त्रुटि की स्थिति में नियामक प्राधिकरण को निर्देशानुसार सूचित किया जाना चाहिए।

एडमिट कार्ड जारी होना पटवारी पदों के चयन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है, जो राज्य में भूमि अभिलेखों के प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर मूल एडमिट कार्ड के साथ एक मान्य फोटो पहचान पत्र ले जाने की याद दिलाई जाती है।

परीक्षा स्थल, समय और नियमों से संबंधित अतिरिक्त निर्देश उसी पोर्टल और आधिकारिक नोटिसों के माध्यम से जारी किए जाएंगे।

हिमाचल के सीएम ने कांगड़ा में 18.29 करोड़ रुपये का एसटीपीआई केंद्र खोला



हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु ने कांगड़ा जिले में सॉफ़्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ़ इंडिया (एसटीपीआई) केंद्र का औपचारिक उद्घाटन किया। लगभग 18.29 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह केंद्र प्रदेश में तकनीकी-उन्मुख उद्यमों और स्टार्ट-अप्स को बुनियादी ढाँचा व समर्थन सेवाएँ प्रदान करेगा।

राज्य अधिकारियों ने बताया कि इस केंद्र में इन्क्यूबेशन स्पेस, हाई-स्पीड इंटरनेट और परीक्षण प्रयोगशालाएँ होंगी, जिससे स्थानीय उद्यमियों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच मिलेगी। यह परियोजना पर्यटन और कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्था को विविधता देने के राज्य के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योग प्रतिनिधियों और स्थानीय मान्यताओं ने भाग लिया, जिन्होंने रोजगार सृजन और कौशल विकास की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। एसटीपीआई केंद्र को प्रदेश में सॉफ़्टवेयर विकास, डिजिटल सेवाएँ और नवाचार का हब बनने की उम्मीद है।

केंद्र के अगले कुछ हफ्तों में संचालन शुरू होने की संभावना है, और पहली स्टार्ट-अप बैच 2027 की शुरुआत में यहाँ स्थापित होने की योजना है।

देश

हिमाचल में खुले में कूड़ा फेंकने पर जुर्माना



खुले में कूड़ा फेंकने की समस्या से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने जुर्माना लगाने का फैसला किया है। सरकार का लक्ष्य इस समस्या से निपटने और जिम्मेदार कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देना है। जुर्माना राशि और कार्यान्वयन प्रक्रिया के बारे में जल्द ही अधिक जानकारी जारी की जाएगी। सरकार उम्मीद करती है कि ये जुर्माने लोग गलत तरीके से कचरा न फेंकने के लिए प्रेरित करेंगे और स्थायी कचरा निपटान पद्धति अपनाएंगे।

राजनीति

हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने विधायक राजीव जासरोटिया के पिता को श्रद्धांजलि दी

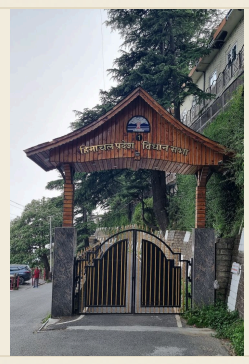


हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने विधायक राजीव जासरोटिया के पिता को श्रद्धांजलि दी। यह सम्मान एक संक्षिप्त यात्रा के दौरान दिया गया, जिससे गवर्नर की परिवार के प्रति संवेदना स्पष्ट हुई। दैनिक एक्सेल्सियर ने इस कार्यक्रम को कवर किया, जिसमें गवर्नर की उपस्थिति को शोक व्यक्त करने के एक प्रतीक के रूप में बताया गया।

रिपोर्ट में स्थान या श्रद्धांजलि के स्वरूप के बारे में अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई। गवर्नर का यह कदम सार्वजनिक प्रतिनिधियों के परिवारों को सम्मानित करने की परम्परागत प्रथा के अनुरूप है।

विधानसभा सदस्य राजीव जासरोटिया ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की, और रिपोर्ट ने केवल गवर्नर के इस कृत्य पर प्रकाश डाला।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने धर्मशाला में स्थायी उच्च न्यायालय की मांग की



हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने आज धर्मशाला में स्थायी उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पारित किया।

यह प्रस्ताव विपक्षी दलों द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें राज्य के पश्चिमी जिलों के निवासियों के लिए तेज़ न्यायिक पहुँच की आवश्यकता पर बल दिया गया।

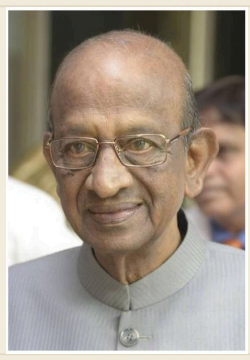
सदस्योंने बताया कि धर्मशाला में वर्तमान अस्थायी न्यायालय की क्षमता सीमित है और अक्सर मामलों के निपटारे में देरी होती है।

सरकार ने अभी तक इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, परंतु यह मांग पहले भी स्थानीय नेताओं द्वारा की गई थी।

यह प्रस्ताव केंद्रीय सरकार को भेजा जाएगा, ताकि शहर में एक स्थायी न्यायिक सुविधा की स्थापना की संभावना पर विचार किया जा सके।

शिक्षा

मुख्य न्यायाधीश ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्नातक समारोह में बेटियों की उपलब्धियों की सराहना की



केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें स्नातक समारोह का आयोजन हाल ही में हुआ, जो संस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मुख्य न्यायाधीश ने समारोह में भाग लिया और स्नातकों, विशेषकर बेटियों की उपलब्धियों पर भाषण दिया, जिनकी सफलता भारत के बदलते परिदृश्य को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि महिलाओं का शिक्षा और पेशेवर क्षेत्र में बढ़ता योगदान समाज के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। समारोह ने विश्वविद्यालय की प्रगति और समावेशी शिक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी उजागर किया। मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति ने कार्यक्रम को एक प्रतिष्ठित स्वर दिया, जो उच्च शिक्षा के महत्व को रेखांकित करता है।

शिक्षा

मुख्य न्यायाधीश ने CUHP की 10वीं दीक्षांत समारोह में उपस्थिति दर्ज की, डिग्री व स्वर्ण पदक प्रदान किए



हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने धर्मशाला परिसर में अपनी 10वीं दीक्षांत समारोह का आयोजन किया, जो संस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। समारोह में विश्वविद्यालय के अधिकारी, संकाय और स्नातकों के परिवारों ने भाग लिया। मुख्य न्यायाधीश ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिससे क्षेत्र में उच्च शिक्षा के महत्व पर बल दिया गया। मुख्य न्यायाधीश ने स्नातकों को व्यक्तिगत रूप से डिग्री प्रदान की और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्रों को स्वर्ण पदक सौंपे। विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के बाद से हुए विकास को रेखांकित करते हुए शैक्षणिक उत्कृष्टता और अनुसंधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

हिमाचल में साइबर धोखाधड़ी से ₹390 करोड़ का नुकसान



राज्य के साइबर अपराध इकाई ने खुलासा किया कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकारों को पिछले छह वर्षों में कुल ₹390 करोड़ का नुकसान हुआ है। इन योजनाओं में फ़िशिंग, नकली निवेश प्रस्ताव और सरकारी अधिकारियों का प्रतिरूपण शामिल था, जो हिमाचल प्रान्त के व्यक्तियों और व्यवसायों को लक्षित कर रही थीं। इसके जवाब में, पुलिस ने डिजिटल प्लेटफार्मों की निगरानी बढ़ा दी है और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए हैं। जांच जारी है, और कई संदिग्धों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

स्वास्थ्य

हाई कोर्ट ने तीसरे बच्चे के लिए 12 हफ्ते की मातृत्व अवकाश की अनुमति दी



दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि दो या अधिक बच्चों वाली महिलाएँ अपने तीसरे बच्चे के लिए बारह हफ्ते का मातृत्व अवकाश प्राप्त करने के हकदार हैं। यह आदेश मौजूदा श्रम कानूनों की व्याख्या करता है, जिससे पहले दो गर्भधारण पर लागू रहने वाले अवकाश को तीसरे बच्चे तक बढ़ाया गया है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भारत की मातृत्व सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाता है और उन कार्यरत माताओं की खाई को पाटता है, जिन्हें तीसरे बच्चे के बाद पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाता था। कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत आता है और सभी नियोक्ताओं को समान रूप से लागू करना चाहिए।

निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के नियोक्ताओं को अब अपनी अवकाश नीतियों को इस अनुसार संशोधित करना होगा, और श्रम मंत्रालय से विस्तृत दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है, ताकि अनुपालन सुनिश्चित हो सके। यह निर्णय विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली कई महिलाओं को लाभ पहुंचाएगा, जहाँ मातृत्व अधिकारों की जागरूकता अभी भी कम है।

हाई कोर्ट ने सरकार को कार्यान्वयन की निगरानी करने और छह महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया, जिससे इस विस्तारित लाभ को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

हिमाचल में मां नागरकोटी मंदिर में 150 साल पुराना पशु बलि का प्रथा समाप्त



हिमाचल प्रदेश के एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल, मां नागरकोटी मंदिर ने पशु बलि की पुरानी परंपरा को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह प्रथा 150 वर्षों से चली आ रही थी, लेकिन हाल ही में मंदिर अधिकारियों द्वारा एक प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे बंद कर दिया गया है। यह मंदिर अपनी मनोरम स्थिति के लिए जाना जाता है और हर वर्ष बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है।

जीवनशैली

हिमाचली महिलाएँ प्राचीन मासिक धर्म taboos को तोड़ रही हैं



हिमाचली महिलाएँ अब प्राचीन मासिक धर्म के taboos का सामना कर रही हैं, जो ऐतिहासिक रूप से उनके दैनिक जीवन में भागीदारी को सीमित करते थे। है, जिसका उद्देश्य मासिक धर्म को एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करना है।

खुलकर चर्चा करके और संसाधन साझा करके, प्रतिभागी कलंक को कम करने और पूरे राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, सामुदायिक कार्यशालाएँ और शैक्षिक सत्र लंबे समय से चल रही मान्यताओं को बदलने में मदद कर रहे हैं और मासिक धर्म के प्रति अधिक समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रहे हैं।

बिज़नेस

पंकज राय को हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन नियुक्त



हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (HPERC) ने पुष्टि की है कि पंकज राय को चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, जो पूर्व पदाधिकारी को प्रतिस्थापित करेंगे। पंकज राय को विद्युत क्षेत्र में व्यापक अनुभव है; उन्होंने भारत के विभिन्न उपयोगिता और नियामक संस्थानों में वरिष्ठ पद संभाले हैं। उनकी नियुक्ति से आयोग के टैरिफ, लाइसेंसिंग और उपभोक्ता संरक्षण के कार्यों में दिशा मिलनी की उम्मीद है। यह निर्णय राज्य सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया और नियुक्ति तुरंत प्रभावी है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि राय के नेतृत्व में राज्य की विद्युत वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण में सुधार हो सकता है, जबकि आयोग अपने मिशन के तहत विश्वसनीय और किफायती बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

हिमाचल प्रदेश ने औद्योगिक अधिनियम के तहत 80% स्थानीय रोजगार अनिवार्य किया



हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नया औद्योगिक अधिनियम पारित किया है। इस अधिनियम के तहत राज्य में कार्यरत कंपनियों को अपने कर्मचारियों का कम से कम 80% हिमाचल प्रदेश के निवासियों से भरना अनिवार्य किया गया है। यह कदम प्रवास को कम करने और राज्य के उत्पादन क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए उठाया गया है। उद्योग संघों को नई भर्ती नीति के अनुरूप अपने प्रक्रियाओं को समायोजित करने का निर्देश दिया गया है। सरकार नियमित ऑडिट के माध्यम से अनुपालन की जाँच करेगी और उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किया गया है।

हिमाचल प्रदेश अदालत ने अविवाहित मृतक के पिता-बहनों को आश्रित मानने से इनकार किया



हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अविवाहित मृतक के पिता या बहनों को उत्तराधिकार या वैधानिक लाभों के लिए आश्रित नहीं माना जा सकता। यह निर्णय एक याचिका के बाद आया, जिसमें मृतक के निकटतम परिवार को आश्रित दर्ज करने की मांग की गई थी।

कोर्ट ने संबंधित क़ानूनों में "आश्रित" की परिभाषा का विश्लेषण किया और यह निष्कर्ष निकाला कि यह शब्द केवल विवाहित जीवनसाथी, संतान या आर्थिक रूप से निर्भर माता-पिता के लिए प्रयुक्त होता है। चूँकि एक कुंवारे व्यक्ति के पास जीवनसाथी नहीं होता और पिता-बहनों को आर्थिक निर्भरता सिद्ध नहीं हुई, इसलिए उन्हें आश्रित मानने से इनकार किया गया।

क़ानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह फैसला मौजूदा न्यायिक प्रवृत्ति के अनुरूप है और राज्य भर में समान मामलों में प्रभावी रहेगा, जिससे लाभ और वारिसी दावे केवल वैध आश्रितों तक सीमित रहेंगे।

कांग्रेस सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति से हिमाचल प्रदेश कोष में 4,000 करोड़ की बढ़ोतरी, मुख्यमंत्री सुखु



हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखु सिंह सुख़ु ने कहा कि कांग्रेस सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति ने राज्य के कोष में लगभग 4,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। यह बयान उन्होंने हालिया प्रेस ब्रीफ़िंग में दिया, जिसमें उन्होंने दृढ़ शासन के माध्यम से वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद लागू की गई नीतियों और राजस्व उपायों ने इस वृद्धि में योगदान दिया है। उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि यह राशि किन-किन स्रोतों से आई है, पर यह कहा कि अतिरिक्त फंड विकास परियोजनाओं और जनकल्याण योजनाओं के लिए उपयोग किए जाएंगे।

विश्लेषकों का मानना है कि 4,000 करोड़ की इस बढ़ोतरी का असर हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे बजट वाले राज्य पर काफी महत्वपूर्ण होगा। यह बयान वर्तमान सरकार के वित्तीय उपलब्धियों को उजागर करता है।

सुखु ने नागरिकों से सहयोग की अपील की, ताकि यह अतिरिक्त संसाधन बुनियादी ढाँचा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाओं में सुधार के रूप में जनता तक पहुँच सके।